यंत्र धारा

प्रवेशांक

सक्षम सेनाओं का सशक्तिकरण

EMPOWERING THE ARMED FORCES

यंत्र इंडिया लिमिटेड
YANTRA INDIA LIMITED
अम्बाझरी, नागपुर–440021

दिनांक 27.04.2022 को रक्षा उत्पादन विभाग की टीम द्वारा यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया ।

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण

EMPOWERING THE ARMED FORCES

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय

अम्बाझरी, नागपुर

व्दारा प्रकाशित

मुख्य संरक्षक :

राजीव पुरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/रा भा का स

संरक्षक :

शरद कुमार यादव, निदेशक/संचालन

गुरुदत्ता राय, निदेशक/मानव संसाधन

राकेश सिंह लाल, निदेशक/वित्त

मुख्य संपादक :

शुभेन्द्र पिपरैया

कार्य प्रबंधक/मानव संसाधन एवं राजभाषा अधिकारी

सह-संपादक :

योगेश तिवारी, कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी

प्रवेशांक

इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं,
जिनसे संपादकीय सहमति होना आवश्यक नहीं है ।

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण

EMPOWERING THE ARMED FORCES

यंत्र गान

यंत्र इंडिया के दिवस को मिलकर आज मनायेंगे
इसके उद्भव की परिभाषा देश को आज बतायेंगे
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि है नारा अपना
सशक्तिकरण हो सेनाओं का लक्ष्य यही तो है अपना
यंत्र के चक्र में चौबीस धारा हमको ये बतलाती है
देश की खातिर चौबीस घंटे रहना सजग सिखाती है
गुणवत्तापूर्ण है उत्पादन जो हीरे जैसा लगता है
रॉकेट रुपी लक्ष्य हमारा आसमान को छूता है
वाई अपना योगदान है भारत के निर्माण में
यंत्र–इंडिया संकल्पित है जनता के परित्राण में
उच्च–कोटी का उत्पादन कर देश का मान बढ़ाते है
देश की रक्षा के चतुर्थ स्तंभ हम ही कहलाते है
सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का जग को 'एहसास' करायेंगे
आज पुनः हम सब मिलकर संकल्प यही दुहरायेंगे
यंत्र इंडिया के दिवस को मिलकर आज मनायेंगे
इसके उद्भव की परिभाषा देश को आज बतायेंगे

रचयिता – राम वृक्ष गुप्ता 'एहसास'

अनुक्रमणिका

संदेश

*	गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री	अमित शाह
*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	राजीव पुरी
*	निदेशक / ऑपरेशन	शरद कुमार यादव
*	निदेशक / मानव संसाधन	गुरुदत्ता राय
*	निदेशक / वित्त	राकेश लाल सिंह

संपादकीय

*	सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति	शुभेन्द्र पिपरैया
*	वन्दना	रामवृक्ष गुप्ता 'एहसास'

रचनाएं

1.	एक नया रिश्ता (कहानी)	योगेश तिवारी	13
2.	हिंदी पखवाड़ा का सफल आयोजन	राजभाषा अनुभाग	14
3.	स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत	अरुण खोडके	17
4.	भारत सरकार की राजभाषा नीति (प्रमुख प्रावधान)	राजभाषा अनुभाग	18
5.	राजभाषा नियम 1976	राजभाषा अनुभाग	23
	(संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग क, ख और ग क्षेत्र)		
6.	यंत्र इंडिया लि. में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन	राजभाषा अनुभाग	24
7.	धूम-धाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस - 2022	राजभाषा अनुभाग	24
8.	यंत्र इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस का आयोजन	राजभाषा अनुभाग	27
9.	संविधान दिवस का आयोजन	राजभाषा अनुभाग	27
10.	दुपहिया वाहन - संड़क संरक्षा	रंजय कुमार	28
11.	गुनगुनाएं और स्वस्थ रहें	विवेक घिल्डियाल	29
12.	स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन	राजभाषा अनुभाग	30
13.	भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं	राजभाषा अनुभाग	30
14.	कार्यालय ज्ञापन	राजभाषा विभाग	33
15.	यंत्र इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन (राजभाषा)	राजभाषा विभाग	50
	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम		
16	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम	राजभाषा विभाग	51

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

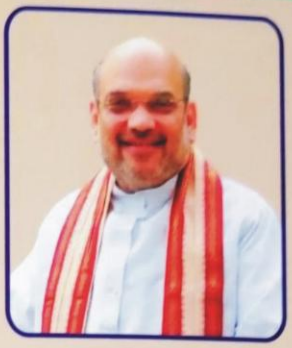

प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम–काज तेजी से बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड माननीय राष्ट्रपति जी को

प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11 वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 13–14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है। यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस–2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है।

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जन–साधारण के लिए **'लीला हिंदी प्रवाह'** मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा–भाषी अपनी–अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के 'ई–महाशब्दकोश' में 90 हज़ार शब्द सम्मिलित किए गए हैं और 'ई–सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हज़ार वाक्य शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी **'बृहत शब्दकोश'** के निर्माण पर भी काम शुरु किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द–संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। **राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।**

प्रिय देशवासियो ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश–विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

आइये, आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में, कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंद!

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022

(अमित शाह)

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण
EMPOWERING THE ARMED FORCES
यंत्र इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
YANTRA INDIA LIMITED
A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence
सत्यमेव जयते
राजीव पुरी, भा.आ.नि.से., एनडीसी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
Rajeev Puri, I.O.F.S., ndc
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

• संदेश •

मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में वार्षिक गृह पत्रिका 'यंत्र धारा' के प्रवेशांक का प्रकाशन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की नव-निर्मित 7 डीपीएसयू में से एक यंत्र इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से अपना कार्य करना शुरु किया। रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये यंत्र इंडिया लिमिटेड राजभाषा के क्षेत्र में भी प्रगतिशील है। राजभाषा के प्रचार-प्रसार व उन्नयन हेतु 'यंत्र धारा' के प्रथम अंक को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया है। पत्रिका में यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय की विविध गतिविधियों का सचित्र प्रकाशन किया गया है, साथ ही साथ कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों की रचनाओं को उचित स्थान दिया गया है। मैं 'यंत्र धारा' पत्रिका के प्रवेशांक के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को बधाई देता हूं। पत्रिका के सफल व निरंतर प्रकाशन हेतु शुभकामनाओं सहित.....

राजीव पुरी, भा.आ.नि.से., एन.डी.सी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
यंत्र इंडिया लिमिटेड

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण
EMPOWERING THE ARMED FORCES
यंत्र इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
YANTRA INDIA LIMITED
A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence
सत्यमेव जयते
शरद कुमार यादव, भा.आ.नि.से.
निदेशक (ऑपरेशन्स)
SHARAD KUMAR YADAV, I.O.F.S.
DIRECTOR (OPERATIONS)

• संदेश •

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय द्वारा राजभाषा पत्रिका 'यंत्र धारा' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह प्रशंसनीय है कि राजभाषा के प्रयोग की अभिवृद्धि के लिये मुख्यालय प्रयासरत है। यंत्र धारा का यह अंक इस बात का परिचायक है। पत्रिकाओं के माध्यम से कवियों व लेखकों को अपनी प्रतिभा उजागर करने नया मंत्र मिलता है। हिंदी भारत की एक ऐसी भाषा है, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा-भाषी आपस में विचार विनिमय करते हैं।

पत्रिका के इस अंक में कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों की रचनाओं के साथ-साथ निर्माणी की विविध गतिविधियों की सचित्र जानकारी प्रकाशित की गई है। निश्चय ही इससे पाठकगण लाभान्वित होंगे। यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय की राजभाषा गतिविधियों के विकास व कार्यान्वयन में पत्रिका का यह अंक सहायक सिद्ध होगा।

मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को शुभकामनाएं देता हूं।

शरद कुमार यादव, भा.आ.नि.से.
निदेशक/संचालन
यंत्र इंडिया लिमिटेड

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण
EMPOWERING THE ARMED FORCES
यंत्र इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
YANTRA INDIA LIMITED
A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence
सत्यमेव जयते
गुरुदत्ता राय, भा.आ.नि.से.
निदेशक (एच आर)
GURUDUTTA RAY, I.O.F.S.
DIRECTOR (HR)

• संदेश •

यह उल्लेखनीय है कि यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वार्षिक गृह पत्रिका 'यंत्र धारा' के प्रवेशांक का प्रकाशन किया जा रहा है । राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता का प्रतीक है । यह हर भारतीयों के दिलों में बसी भाषा है । राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय प्रयासरत है । इस कड़ी में 'यंत्र धारा' का यह अंक राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में सहायक सिध्द होगा । पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं से निश्चय ही पाठकगण लाभान्वित होंगे । मैं 'यंत्र धारा' पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को शुभकामनाएं देता हूं । पत्रिका के सफल व निरंतर प्रकाशन हेतु शुभकामनाओ सहित.....

गुरुदत्ता राय, भा.आ.नि.से.
निदेशक/मानव संसाधन
यंत्र इंडिया लिमिटेड

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण
EMPOWERING THE ARMED FORCES
यंत्र इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
YANTRA INDIA LIMITED
A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence
सत्यमेव जयते
राकेश सिंह लाल, भा.आ.नि.से.
निदेशक (वित्त)
RAKESH SINGH LAL, I.O.F.S.
DIRECTOR (FINANCE)

• संदेश •

यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वार्षिक पत्रिका 'यंत्र धारा' के प्रवेशांक का प्रकाशन एक सुखद अनुभव है । नव गठित डीपीएसयू में से एक यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय राजभाषा के उन्नयन में प्रगतिशील है । उल्लेखनीय है कि पत्रिका में अधिकारियों व कर्मचारियों की रचनाओं के अलावा राजभाषा संबंधी आदेशों व नियमों को भी प्रकाशित किया गया है । हम जानते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी है, अतः हिंदी में काम करना हम सभी का परम कर्तव्य बन जाता है ।

मुझे विश्वास है कि पत्रिका राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास व कार्यान्वयन में पत्रिका निश्चय ही सफल साबित होगी ।

'यंत्र धारा' पत्रिका से जुड़े समस्त अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं । मुझे विश्वास है कि यंत्र धारा के आगामी अंक भी इसी तरह निरंतर प्रकाशित होते रहेंगे । शुभकामनाओ सहित...

राकेश सिंह लाल, भा.आ.नि.से.
निदेशक/वित्त
यंत्र इंडिया लिमिटेड

• संपादकीय •

ज्ञातव्य है कि यंत्र इंडिया लिमिटेड ने 01 अक्टूबर, 2021 से नवनिर्मित डीपीएसयू के रुप में कार्य करना शुरु किया है। अब तक एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस दौरान यंत्र इंडिया लि. द्वारा नये–नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय राजभाषा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है। मुख्यालय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर की सदस्यता प्राप्त कर ली है। त्रैमासिक समाचार पत्रिका 'यंत्र वाणी' का प्रवेशांक प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर संबंधित कार्यालयों को अग्रेषित की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम का परिचालन किया जाता है।

रक्षा उत्पादन विभाग की टीम द्वारा 27.04.2022 को यंत्र इंडिया लि. मुख्यालय का राजभाषाग्री निरीक्षण किया गया। 13.07.2022 को यंत्र इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध निर्माणी अंबरनाथ का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया। 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान चित्र देखो कहानी लिखो, गीत गायन, शब्द ज्ञान, हिंदी हस्ताक्षर प्रतियोगिता (केवल ग्रुप ए अधिकारियों के लिये) का आयोजन किया गया। दिनांक 14 व 15 सितंबर, 2022 को सूरत में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्यालय का भी प्रतिनिधित्व रहा।

मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मुख्यालय की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका 'यंत्र धारा' का प्रवेशांक प्रकाशित किया गया है। इसमें यंत्र इंडिया लि. की विविध गतिविधियां व अधिकारियों तथा स्टाफ की स्वरचित रचनाएं समाहित की गई हैं। यह सर्वविदित है कि हिंदी संपर्क भाषा की भूमिका निभाते हुये विशाल जनसमूह को आपस में जोड़ते हुये एकता के सूत्र में बांधती है और पारस्परिक संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। हिंदी की उपयोगिता को देखते हुये संघ की राजभाषा के लिये हिंदी को चुना गया। विभिन्न विषयों पर हिंदी भाषा में लेखन प्रतिभा को उजागर करने के लिये विभागीय व कार्यालयीन पत्रिकाओं का योगदान होता है। 'यंत्र धारा' पत्रिका को अधिकारियों व स्टाफ ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नया रुप दिया है तथा उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि 'यंत्र धारा' का प्रवेशांक अपने स्तर व गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम रहेगा। पत्रिका के स्तर का मूल्यांकन पाठकों व उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। मुझे विश्वास है कि पाठकगण अपने बहुमल्य विचारों व सुझावों से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे जिससे आगामी अंकों को और भी बेहतर व आकर्षक बनाया जा सकेगा।

शुभेन्द्र पिपरैया

शुभेन्द्र पिपरैया, भा.आ.नि.से.
कार्य प्रबंधक/मानव संसाधन
राजभाषा अधिकारी

मां शारदा के श्री चरणों में सादर समर्पित

स्तुति करुं मैं हाथ जोड़ तेरी शारदे मां
मातु मेरी विनती को आप सुन लीजिए,
मैत्री पुष्प खिले यहां सुख-शांति रहे यहां,
दुःख दर्द पीड़ा को मां आप हर लीजिए,
तिमिर अज्ञान का हो जायेगा स्वतः लुप्त
वेद के पुराण के प्रकाश पुंज दीजिए
जगमगाये खुशियों के दीप चहुं ओर मां,
ऐसा वरदान 'यंत्र-इंडिया' को दीजिए ।

रचयिता - राम वृक्ष गुप्ता 'एहसास'

एक नया रिश्ता (कहानी)

वे अगले ही महीने रिटायर होने वाले थे । रिटायरमेन्ट के बाद कैसे जिंदगी गुजार पाएंगे, यही गम सताए जा रहा था । पत्नी का स्वर्गवास 10 बरस पहले ही हो चुका था । तीनों अपने-अपने ससुराल में खुश थीं ।

बिना पत्नी के दस साल तो जैसे-तैसे गुजार लिए थे । कारण, अधिकांश समय ऑफिस में बीत जाया करता था । लोगों से बातचीत और काम में समय का पता ही नहीं चलता था । दोस्तों से हिदायत मिलती कि शादी कर लो । किन्तु उनके लिए इस उम्र में शादी करना हंसी और शर्म की बात थी । चाहकर भी ऐसा सोचना बच्चों के लिए और समाज के लिए गलत था ।

लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद का समय व्यतीत करना चिंता का विषय था क्योंकि बेटियों के घर कोई कितनी बार जाएगा, पड़ोसियों के घर कोई कितनी देर तक बैठेगा, पार्क में कोई कितना घूमेगा । खैर, इस उधेड़बुन में समय बीतता गया । आखिरकार रिटायरमेन्ट का दिन आ ही गया । यह दिन सभी के लिए बहुत खुशनुमा था । किन्तु उनके लिए प्रश्न चिन्ह के अलावा कुछ भी नहीं था । उस दिन अपने सहकर्मियो, सगे-संबंधियों, बेटी-दामाद, समधियों और नाती-नातिनों से घर भरा-पूरा लग रहा था । खान-पान और जश्न के बाद सभी लोग अपने-अपने घर को निकल लिए । रह गया तो उनका अकेलापन ।

अगले दिन से उनकी नई दिनचर्या शुरु हुई जो कि काफी उलझी हुई थी । उनसे बात करने वाला कोई नहीं था । उनका अकेलापन कुण्ठा में परिवर्तित होने लगा था । किसी तरह एक महीना निकाल लिया था । अब उन्हें अपने दोस्तों की बात याद आ रही थी । सोचने लगे कि शादी करने में क्या हर्ज है । मुझ बूढ़े को कोई सहारा तो मिल जाएगा । मुझे दो वक्त की रोटी तथा अपने सुख-दुख बांटने वाला कोई तो मिल जाएगा । लेकिन संबंध में बेटियों से बात करने में शर्म और ग्लानि महसूस हो रही थी । एक दिन कोशिश भी की तो उल्टा मुंह की खानी पड़ी ।

लेकिन अपना सहारा स्वयं खोजना है, सोचते हुए एक नया रिश्ते की खोज के लिए मैरिज ब्यूरो के कार्यालय जा पहुंचा । अपनी ही हम-उम्र बेसहारा विधवा महिला से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आया । आस-पड़ोस के लोग कानाफूसी कर रहे थे । जगह-जगह से आवाजे आ रही थीं - बुड्ढा सठिया गया है, बूढ़ा चला जवान बनने, बुड्ढे की मति मारी गई है और भी न जाने क्या-क्या ?

लेकिन उस भीड़ में से एक भी आवाज ऐसी नहीं थी जो यह बोल सके कि बहुत अच्छा किया बेचारे ने । खुद तो सहारा पाया ही और उसको भी ..... ।

योगेश तिवारी
कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी

पर्यावरण

आज समय की मांग यही है,
सब मिलकर संकल्प उठायें ।
धरा बने खुशहाल सभी मिल,
पर्यावरण में संतुलन लायें ।

हो कल्याण मानव जाति का,
ऐसा हम परिवर्तन लायें ।
पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो,
ऐसा हम अभियान चलायें ।

मैं धर्म से छूटकर सौन्दर्य पर और सौन्दर्य से छूटकर धर्म पर आ जाता हूं ।
होना यह चाहिए कि धर्म में सौन्दर्य और सौन्दर्य में धर्म दिखाई पड़े ।

हिंदी पखवाड़ा - 2022 का सफल आयोजन

यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में दिनांक 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ । इस दौरान चित्र देखो कहानी लिखो, गीत गायन, शब्द ज्ञान, हिंदी हस्ताक्षर प्रतियोगिता (केवल ग्रुप ए अधिकारियों के लिये) का आयोजन किया गया ।

दिनांक 29.09.2022 को हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय बतौर मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे । कार्यक्रम में श्री एस.के. यादव, निदेशक/ऑपरेशन, श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/मानव संसाधन, श्री टी.के. पंडा, महाप्रबंधक की विशेष उपस्थिती रही । श्री शुभेन्द्र पिपरैया, कार्य प्रबंधक/एचआर व राजभाषा अधिकारी ने यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय की राजभाषा गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की । श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/मानव संसाधन ने अपने संबोधन में राजभाषा के महत्व पर ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किये । इस अवसर पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वरिष्ठ अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित थे । समापन समारोह के दौरान लघु काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया ।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन

यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में दिनांक 31.10.2022 से 07.11.2022 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया । इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये । कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 31.10.2022 को दीप प्रज्वलन के साथ हुई जिसमें मुख्य अतिथि श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उपस्थित थे । इस अवसर पर सीएमडी महोदय ने सभी उपस्थितों को संगठन के लिये सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई । साथ ही श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/एचआर ने नागरिक के लिये सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई । कार्यक्रम के दौरान श्री विनय हजारे, कार्य प्रबंधक ने राष्ट्रपति, श्री विपुल कांत गुप्ता, उप महाप्रबंधक ने प्रधानमंत्री का तथा श्री ए.के. येरपुडे, वरिष्ठ निदेशक/सतर्कता ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के संदेशों का वाचन किया । सीएमडी महोदय द्वारा 'विजलेंस ट्री' का रोपण किया गया ।

सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । अतिथि वक्ता के रुप में श्री संजय पट्टनायक, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रधान निदेशक/राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अम्बाझरी को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया । इसके साथ ही श्री अजय येरपुडे, वरिष्ठ निदेशक/सतर्कता, श्री सचिन जैन, महाप्रबंधक/ऑपरेशन तथा श्री अरिजीत मुखर्जी, कार्य प्रबंधक/एचआर ने भी सतर्कता जागरुकता पर व्याख्यान दिये ।

03 नवम्बर, 2022 को पैदल मार्च का आयोजन किया गया जिसमें यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय के समस्त अधिकारी व स्टाफ सम्मिलित हुये । 04 नवम्बर 2022 को वेंडर मीट का आयोजन किया गया । 07 नवम्बर, 2022 को समापन समारोह आयोजित हुआ जिसमें सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी स्टाफ व उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य अतिथि श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान किये गये । इस अवसर पर सतर्कता पत्रिका 'विज : यंत्र इंडिया' का विमोचन किया गया ।

हिंदी पखवाड़ा

AMBAJHARI NAGPUR.

AMBAJHARI NAGPUR.

AMBAJHARI NAGPUR.

AMBAJHARI NAGPUR.

AMBAJHARI NAGPUR.

यंत्र इंडिया लिमिटेड में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

स्वच्छ भारत - स्वस्थ भारत

यह कथन पूर्णतः सत्य है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास रहता है । अतः स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम स्वच्छता को अपनाएं और लोगों को भी स्वच्छ रहने की सलाह दें । पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । इस अभियान को सफल करने में हम सभी का यह दायित्व बनता है कि इस अभियान में सहयोग करें और देश को स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत बनाएं ।

स्वच्छ भारत बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि साफ-सफाई की शुरुआत स्वयं से करें । अपने घर से ही सफाई अभियान चलाएं । घर का कचरा इधर-उधर न फैलाएं, निर्धारित स्थान पर ही कचरा फेंके, पान-तंबाखू खाकर गंदा न करें तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, सिनेमा हॉल, मार्केट आदि में सिगरेट आदि का सेवन न करें ।

जिस तरह अन्य देशों में गंदगी फैलाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, सड़क पर गंदगी फैलाने के लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए । इसके लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए ताकि लोग सतर्क रहें और आसपास स्वच्छता का वातावरण बन सके । स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है क्योंकि दिन के अधिकांश समय में बच्चा स्कूल में रहता है । उसे अन्य विषयों के साथ-साथ नीतिशिक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाता है । शिक्षकों द्वारा बच्चों को नियमित तौर पर बताया जाए कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाएं । प्रतिदिन ब्रश तथा स्नान आदि के साथ स्कूल आएं तथा साफ सुथरे कपड़े पहने । स्कूल तथा घर दोनों जगह चीजों को निर्धारित स्थान प ही रखें । कचरे के लिए डस्टबिन का उपयोग करे ।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पॉलीथीन का उपयोग न करें । घरों में नाली आदि में पानी की उचित निकासी का प्रबंध करें ताकि गंदा पानी जमा न हों और मच्छर न फैल सकें । इसके साथ ही बाई या नौकर के भरोसे न बैठे रहें, छोटी-मोटी सफाई स्वयं भी कर सकते हैं । सप्ताह में कम से कम दो घण्टे साफ-सफाई के लिए निर्धारित करें तो अवश्य ही स्वच्छ परिवार, स्वच्छ समाज बन सकता है । स्वच्छ समाज से स्वच्छ भारत बनेगा, इसिलए कहा गया है -

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत ।

गांव-गांव, शहर-शहर में
स्वच्छता को अपनाना है ।
विश्व जगत में भारत को
धरती का स्वर्ग बनाना है ।।

अरुण खोडके
चार्जमैन/मानव संसाधन

खुद से बहस करोगे तो
सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ।
अगर दूसरों से करोगे तो
और नये सवाल खड़े हो जायेंगे ।
जब मनुष्य अपनी गलती का वकील
और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है
तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं.....

भारत सरकार की राजभाषा नीति (प्रमुख प्रावधान)

1. संघ की भाषा

1.1 संघ की भाषा हिंदी औरउसकी लिपि देवनागरी है । संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रुप (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) का प्रयोग होगा ।

1.2 संघ के कार्यों में, संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन इस अवधि में राष्ट्रपति संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे ।

1.3 इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात संसद कानून द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंक के देवनागरी रुप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी, जो विधि में विनिर्दिष्ट है ।

2. संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

2.1 संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किये जा सकते हैं । परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रुप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है ।

2.2 किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है, किनके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है और किन कार्यों के लिए हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है - यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किये गये निदेशों द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

3. राज्य की राजभाषा

3.1 किसी राज्य का विधान मंडल कानून द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं सरकारी कार्यों के लिए अपना सकेगा । लेकिन जब तक ऐसा न हो, तब तक पहले की भांति अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा ।

4. विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

4.1 राज्य के विधान मंडल का कार्य, राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा । लेकिन विधानसभा या विधान परिषद का अध्यक्ष अथवा ऐसे रुप में कार्य करनेवाला व्यक्ति, सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है । (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है ।)

4.2 जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा कोई उपबंध नहीं करता है, संविधान के आरंभ के पंद्रह वर्ष बाद अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा । हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के लिए यह समयावधि पंद्रह वर्ष के बजाय पच्चीस वर्ष होगी ।

5. केंद्र सरकार के कार्यालय की परिभाषा

राजभाषा नियम 2(ख) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी शामिल हैं -

- केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग या कार्यालय
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, और
- केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय ।

6. केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार

6.1 केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । - नियम 4 (क)

6.2 केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार आदि हिंदी में उस अनुपात में भेजे जाने हैं, जो राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित करता है । - नियम 4 (ख)

6.3 केन्द्र सरकार के मंत्रालय या विभाग को छोड़कर क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएं । - नियम 4 (ग)

6.4 क्षेत्र 'ख' और क्षेत्र 'ग' में स्थित कार्यालयों को आपस में और क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ, पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है । यह पत्र-व्यवहार किस अनुपात में हिंदी में किया जाए, यह राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया जाता है ।-नियम 4 (घ व ड)

6.5 क्षेत्र 'क' व क्षेत्र 'ख' में स्थित किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को संबोधित पत्र आदि का दूसरी भाषा में अनुवाद भेजने की आवश्यकता नहीं है । इसका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्र आदि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा । - नियम 4 का परंतुक (1)

6.6 क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय कार्यालय के किसी कार्यालय को यदि पत्र हिंदी में भेजा जाता है और 'ग' क्षेत्र में स्थित वह कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित है, तब अंग्रेजी में अनुवाद भेजने की आवश्यकता नहीं है । क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों को यदि पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाए । - नियम 4 परंतुक (2)

7. उच्चतम/उच्च न्यायालय की भाषा

7.1 उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में की जानी अपेक्षित है - अनुच्छेद 348 (1) (क)

परंतु किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, की कार्यवाहियों में (उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, डिक्री, या आदेश को छोड़कर) हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में आनेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है । - अनुच्छेद 348 (2)

इस प्रावधान के अधीन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में स्थित, इलाहाबाद, जबलपुर, पटना और जोधपुर उच्च न्यायालय में हिंदी प्रयोग प्राधिकृत किया गया है ।

8. हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर

8.1 हिंदी में प्राप्त पत्र, चाहे वे किसी भी क्षेत्र, व्यक्ति, राज्य, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हुए हों, उनका उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा हिंदी में दिया जाए । - नियम 5

9. आवेदन, अभ्यावेदन आदि का उत्तर

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है । यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन हिंदी में तैयार करता है या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका जवाब हिंदी में ही दिया जाए । - नियम 7

10. सेवा संबंधी सूचना या आदेश

यदि कोई कर्मचारी चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कायर्वाही भी है) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसको कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए, तो वह उसे किसी विलंब के बिना उसी भाषा में दिया जाये । - नियम 7(3)

11. दस्तावेज, मैनुअल आदि जो द्विभाषी होने चाहिए

अधिनियम की धारा 3(3)
निम्नलिखित दस्तावेज आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं :

- संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति ।

- संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र संविदाओं और करारों का निष्पादन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र और निविदा के लिए नोटिस एवं प्रारुप ।

12. राजभाषा नियम (11)

सभी मैनुअल, संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य को हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रुप में मुद्रित, साइक्लोस्टाइल या प्रकाशित किया जाए ।

- केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग की जानेवाली पंजिकाओं के प्रारुप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों ।

- केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापत्र, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी जाएँ व मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएं ।

13. कार्यसाधक ज्ञान (नियम 10)

यह समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, यदि उसने :

- मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्च परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या केन्द्रीय सरकार के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या किसी केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

- केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या वह राजभाषा नियम के संलग्न प्रारुप में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

14. प्रवीणता (नियम 9)

किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, यदि उसने :

- मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्च कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे किसी उच्च परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रुप में लिया हो या

- वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारुप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ।

15. कार्यालयों में टिप्पण आदि

15.1 केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों को, जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो राजभाषा अधिनियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित किये जा चुके हैं, विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारुपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएँ, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा । - नियम 8 (4), 10 (2) और 10 (4)

15.2 उपर्युक्त को छोड़कर यदि कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिखता है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे । - नियम 8 (1)

16. अनुपालन का उत्तरदायित्व

16.1 धारा 3(3) में सूचित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है, निष्पादन किया गया है या जारी किया गया है ।

16.2 केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रुप से अनुपालन हो रहा है और साथ ही वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के उपाय करें । - नियम 12 (1)

16.3 केन्द्रीय सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों के पूरी तरह अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हों । कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह इन निदेशों का पालन सुनिश्चित करे । - नियम 12 (1) और (2)

17. प्राधिकृत भाषाएँ

(अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351)

1. असमिया 2. बांग्ला 3. बोडो 4. डोगरी 5. गुजराती 6. हिंदी 7. कन्नड़ 8. कश्मीरी 9. कोकणी 10. मैथिली 11. मलयालम 12. मणिपुरी 13. मराठी 14. नेपाली 15. उड़िया 16. पंजाबी 17. संस्कृत 18. संथाली 19. सिंधी 20. तमिल 21. तेलगू 22. उर्दू

18. अनुवाद की आवश्यकता

18.1 सेवा संबंधी कोई आदेश या सूचना जिसे कर्मचारी पर तामील किया जाना है (जिनमें अनुशासनिक कार्रवाई शामिल है), कर्मचारी द्वारा अनुवाद की मांग करने पर यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।

18.2 केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र 'क' तथा क्षेत्र 'ख' में स्थित कार्यालयों से क्षेत्र 'क' तथा 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय को या वहाँ के केन्द्रीय कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र हिंदी में ही भेजे जाने हैं । यदि इन्हें कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ अनुवाद भेजना होगा ।

18.3 क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय (राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर) को यदि कोई पत्रादि हिंदी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाए ।

बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते है
लेकिन बाज़ बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं ।
समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें अंतर पैदा करता हैं ।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग क, ख और ग क्षेत्र)

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित) को धारा 8 में किए गए प्रावधानों के अधीन बनाया गया राजभाषा नियम, 1976 बहुत महत्वपूर्ण हैं । संविधान राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित) में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, सरकार की वर्तमान राजभाषा नीति बहुत हद तक इन नियमों पर आधारित है । इन नियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

1. यह नियम केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सभी आयोगों, समितियों और अधिकरणों या उनके कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व नियंत्रणाधीन सभी निगमों और कंपनियों और उनके कार्यालयों पर लागू होते हैं । राजभाषा हिंदी के अमल को आसान बनाने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 'क', 'ख' और 'ग' तीन क्षेत्रों में रखा गया है ।
   'क' क्षेत्र में बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार शामिल हैं ।
   'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं ।
   'ग' क्षेत्र के अंतर्गत 'क' और 'ख' क्षेत्रों में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य आते हैं ।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के राज्यों को या इन राज्यों में स्थित किसी कार्यालयों (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न) या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी में होंगे । साधारण परिस्थितियों में ऐसे पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा । (नियम 3(1))

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के राज्यों को या उन राज्यों में स्थित कार्यालयों (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न) को भेजे जाने वाले पत्रादि सामान्यतः हिंदी में होंगे । यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा । 'ख' क्षेत्र राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी में अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं । (नियम 3(2))

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र के राज्य को या ऐसे किसी राज्य में स्थित किसी कार्यालयों (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न) को भेजे जाने वाले पत्रादि सामान्यतः अंग्रेजी में होंगे ।

5. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय के विभाग के बीच होने वाला पत्राचार हिंदी में या अंग्रेजी में हो सकता है । नियम 4(क)

   5.1 केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय के बीच होने वाला पत्राचार, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में, हिंदी में होगा । नियम 4 (ख)

   5.2 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के बीच आपस में होने वाला पत्राचार हिंदी में होगा । नियम 4 (ग)

   5.3 एक और 'क' क्षेत्र और दूसरे 'ख' या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच वाला पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है । नियम 4 (घ)

   5.4 'ख' क्षेत्र या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच होने वाला पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में हो सकता है किंतु यथा आवश्यक उसका अनुवाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी । नियम 4 (ड)

नजरअंदाज करो उन लोगों को, जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं,
क्योंकि वे उसी जगह रहने लायक हैं, आपके पीछे ।

यंत्र इंडिया लिमिटेड में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आयुष मंत्रालय के निदेशानुसार, यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, अम्बाझरी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भव्य रुप से आयोजित किया गया । दिनांक 21 जून, 2022 को यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय व आयुध निर्माणी अम्बाझरी के संयुक्त तत्वावधान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत अधिकारियों व कर्मचारियों ने सपरिवार बृहद स्तर पर योग प्रदर्शन किया ।

इससे पूर्व दिनांक 19 मई, 2022 को ''योग का महत्व'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें वाईआईएल के स्टाफ ने बड़ी संख्या में भाग लिया । 31 मई, 2022 को श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के मुख्य आतिथ्य में 'तनाव मुक्त जीवन' अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इसमें व्याख्यान देने के लिए ब्रह्माकुमारी की टीम को आमंत्रित किया गया था । संगोष्ठी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।

धूम-धाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस - 2022

यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस 2022 हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया । इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये । सर्वप्रथम दिनांक 12 अगस्त, 2022 को बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता में यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय के अधिकारी व स्टाफ के बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया । मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त, 2022 को आयोजित हुआ । श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे । श्री एस.के. यादव, निदेशक/ऑपरेशन, श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/एचआर व श्री राकेश सिंह लाल, निदेशक/फायनांस, डॉ. चित्रलेखा राय, डॉ. निशा लाल विशेष रुप से उपस्थित थे । विशिष्ट अतिथि के रुप में स्वामी श्री शुद्धानंद गिरीजी को आमंत्रित किया गया था ।

इस अवसर पर सीएमडी महोदय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तत्पश्चात वाईआईएल की टीम ने राष्ट्र गान प्रस्तुत किया । मुख्य अतिथि श्री राजीव पुरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व विशिष्ट अतिथियों ने पुष्प अर्पित किये । श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/ एचआर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी उपस्थितों को संबोधित किया, उन्होंने वाईआईएल लोगों की पृष्ठभूमि का परिचय दिया । मुख्य अतिथि के कर-कमलों से 10वीं व 12वीं में अव्वल आए मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया । देश भक्ति गीत व काव्य फुहार की प्रस्तुति की गई । श्री राजीव पुरी, सीएमडी महोदय ने अपने अभिभाषण में यंत्र इंडिया लिमिटेड शुरुआती सफर का उल्लेख करते हुये वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, वाईआईएल लोगो की उपयोगिता व संदेश के बारे में बताया । वाईआईएल लोगो के चयन व डिजाइन में अतुलनीय योगदान देने के लिये श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/एचआर को सम्मानित किया गया । इसके साथ ही वाईआईएल लोगो के लिए आ.नि. मुरादनगर, आ.नि. कटनी, आ.नि. दमदम, आ.नि. अंबरनाथ ने निर्माणी स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया ।

कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें सभी की सहभागिता रही । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अर्चना सिंह, अनुभाग प्रमुख/एचआर अनुभाग ने किया ।

जिसने अपनों को वश में कर लिया,
उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते ।

धूम-धाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस - 2022

यंत्र इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस का आयोजन

यंत्र इंडिया लिमिटेड स्थापना दिवस का आयोजन

01 अक्टूबर, 2022 को यंत्र इंडिया लिमिटेड का पहला स्थापना दिवस मनाया गया । इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । मुख्य कार्यक्रम प्रातः 9 बजे यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय परिसर में संपन्न हुआ जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने यंत्र इंडिया ध्वज फहराया, तत्पश्चात यंत्र गान प्रस्तुत किया गया । ज्ञातव्य है कि इस यंत्र गान की रचना श्री आर.बी. गुप्ता, क.का.प्र. वाईआईएल ने की है तथा इसे श्री मनोज बंड, वैयक्तिक सहायक, वाईआईएल ने संगीत व स्वरबद्ध किया । इस दौरान सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ विशिष्ट अतिथि के रुप में परमवीर चक्र सम्मानित श्री योगेन्द्र सिंह यादव व स्वामी श्री शुद्धानंद गिरीजी उपस्थित थे । इसके साथ ही यंत्र महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा डॉ. श्रीमती वनिता पुरी तथा अन्य कार्यकारी पदाधिकारी डॉ. श्रीमती चित्रलेखा राय व डॉ. श्रीमती निशा लाल मुख्य रुप से उपस्थित थी । दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई । कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण परमवीर चक्र सम्मानित श्री योगेन्द्र सिंह यादव का अभिभाषण था, उन्होंने अपने धारा प्रवाह वक्तव्य से सभी उपस्थितों के मन में देशभक्ति का जज्बा जगाया । साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान घटित कई अनछुए पहलुओं तथा मर्मस्पर्शी घटनाओं की जानकारी दी जिसने सभी श्रोताओं को दृवित कर दिया । श्री एस.के. यादव, निदेशक/ ऑपरेशन, श्री गुरुदत्ता राय, निदेशक/ एचआर तथा श्री राकेश सिंह लाल, निदेशक/ फायनांस ने भी कार्यक्रम में उपस्थितों को संबोधित किया ।

मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया । विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट किये गये । श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सभागार मे उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि यंत्र इंडिया लिमिटेड नये उत्पादन लक्ष्य तथा कार्यभार को हासिल करने हेतु अग्रसर है । उन्होंने प्रतिस्पर्धा के दौर में गुणता और उत्कृष्टता के कायम रखने पर बल दिया । इसके साथ ही मुख्य अतिथि महोदय ने कर्मचारियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया ।

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अर्चना सिंह, अनुभाग प्रमुख/एचआर अनुभाग ने किया । श्री शुभेन्द्र पिपरैया, कार्य प्रबंधक/ एचआर ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

संविधान दिवस का आयोजन

यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, अम्बाझरी नागपुर में दिनांक 26 नवम्बर, 2022 को संविधान दिवस मनाया गया । इस अवसर पर प्रातः 11 बजे मुख्यालय के सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया । श्री राकेश सिंह लाल, निदेशक/वित्त व अस्थायी प्रभारी अधिकारी ने संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका का वाचन किया तथा उपस्थित अधिकारी व स्टाफ ने उसका अनुसरण किया । इस दौरान श्री सचिन जैन, महाप्रबंधक ने संविधान दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुये अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया ।

दुपहिया वाहन – सड़क संरक्षा

वाहन चलाने के पहले उसकी जांच करना

1. फ्यूल सिस्टम : लीक आदि पता करने के लिए फ्यूल सिस्टम की जांच करें ।

2. ब्रेक : ब्रेक वाहन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए आप जब भी दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करें तो पहले ब्रेक की जांच अवश्य करें । ब्रेक, ब्रक हैन्डल, पेडल लीवर और थ्रॉटल केबल की जांच करें । ब्रेक फ्लूइड लेवल भरें या बदले (यदि गंदा हो तो) । वर्षा ऋतु में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ब्रेक शू में पानी जाने की संभावना रहती है और ब्रेक कार्य नही करता है ।

3. फ्रेम और सस्पेंशन : इंजन और ट्रान्समिशन ब्रेकट्स के आसपास फ्रेम का अच्छे से निरीक्षण करें । यदि आवश्यकता हो तो सभी नट, बोल्ट और माऊन्टिंग ब्रेकट्स को टाइट करें ।

4. अन्य क्रेक्स : सभी मॅकेनिकल उपकरणों की जांच के बाद हेडलाइट (हाई और लो बीम सहित), टेललाइट, ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, इन्स्ट्रूमेंट पेनल लाइटस, टायरों की हवा और हॉर्न का निरीक्षण करें । आईने को साफ करें तथा एडजस्ट करें ।

5. शिड्यूल : अपने दुपहिया वाहन के लिए सिफारिश किए गए सर्विस शिड्यूल का पालन करें ।

सुरक्षित राइडिंग के संकेत :

जो वाहन चलाना सीख रहे है, उन्हें सड़क पर तब तक वाहन नहीं चलाना चाहिए, जब तक वो वाहन चलाने में पूर्ण रुप से निपुण न हो जाएं । भीड़-भाड़ वाले मार्ग से दूर किसी खुली जगह/मैदान में वाहन चलाना सीखना चाहिए ।

* ट्रैफिक सिग्नल एवं नियमों को समझकर उसका पालन भी करना चाहिए ।

* हमेशा अच्छे किस्म का और आईएसआई मार्क हेल्मेट पहनना चाहिए । हेल्मेट के स्ट्रैप को अच्छे से लगाना चाहिए । वाहन पर ज्यादा वजन लोड न करें । वाहन पर केवल दो व्यक्ति बैठे ।

* स्पीड लिमिट पर ध्यान रखें और वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं ।

* अचानक रुकने की स्थिति में वाहनों के मध्य सुरक्षित अंतर बनाए रखें ।

* हमेशा अपने साइड से चलें और ट्रैफिक की गति के साथ आगे बढ़ें ।

* हमेशा दाहिने साइड से ओवरटेक करें ।

* मुड़ते समय ओवरटेक न करें । मुड़ते समय हमेशा गति कम रखें ।

* जल्दी-जल्दी लेन मत बदलिए । दूसरे चालको का ध्यान आकर्षित करने के लिए हॉर्न बचाएं ।

* ज्यादा ढलान वाले मार्ग पर जहां फिसलन का खतरा ज्यादा हो अत्यधिक सावधानी एवं धीमी गति से वाहन चलाएं ।

* दुपहिया वाहन चलाते समय सेल फोन पर बात न करें ।

* फिसलन से बचने के लिए पेन्ट किए हुए हिस्से पर वाहन चलाने से बचें ।

* रात्रि के समय और वर्षा के मौसम में ज्यादा सावधानी रखें क्योंकि सड़क पर फिसलन और धुंधलापन रहता है ।

यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है ।
लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो उसमें पूरी आप ही की गलती है ।

* सड़क पर अन्य वाहन चालकों से गलती हो सकती है। पूरी सावधानी से वाहन चलाएं।

* रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर अत्यधिक सावधान रहें। रेलवे ट्रॅक को पार न करें, ऐसा करना वर्जित है।

* वाहन चलाते समय मार्ग में कूड़ा-करकट, पानी के डबरे, पत्थर, कांच आदि पर नजर रखें।

* पार्क की हुई कार से कम से कम तीन फीट दूर से अपनी गाड़ी ले जाएं क्योंकि अचानक कोई भी अपनी कार का दरवाजा खोल सकता है।

* दुपहिया वाहनों की ज्यादातर दुर्घटनाएं बड़े वाहनों के टकराने के कारण होती है। अतः आपके मार्ग में जो वाहन चालक बाएं तरफ मुड़ने वाला है उस पर सावधानीपूर्वक नजर रखें।

* किसी अन्य वाहन के एकदम पीछे अपना वाहन न रोकें। पीछे आने वाला वाहन चालक हो सकता है आपको न देख पाए। इस स्थिती में आपको असुविधा हो सकती है।

* यदि आप नशे की हालत में है तो वाहन न चलाएं। किसी और को वाहन चलाने दे।

* गलत ढंग से या उग्र रुप से वाहन चलाने वाले चालकों को चुनौती न दें।

* एक बार में 100 मील से ज्यादा वाहन न चलाएं।

* यदि आपको नींद आ रही है तो वाहन न चलाएं।

रंजय कुमार
क.का.प्र./मानव संसाधन

गुनगुनाएं और स्वस्थ रहें

* हमारे प्रतिदिन के जीवन में गुनगुनाना एक सहज प्रक्रिया है। गुनगुनाने के अनेक फायदे हैं जिन्हें जानकर आप भी अवश्य गुनगुनाएंगे।

* गुनगुनाने से हमारे आसपास का वातावरण खुशनुमा बन जाता है।

* गुनगुनाते रहने से हमारा मन प्रसन्न रहता है तथा हम तनाव से निजात पाते हैं।

* गंभीर परिस्थितियों के दौरान यदि हम कोई गीत गुनगुनाते हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी हम पर हावी नहीं होती।

* अपना मनपसंद गीत गुनगुनाने से मन को खुशी मिलती है।

* गुनगुनाने से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है तथा कार्य करने में निपुणता आती है।

* कार्य के दौरान गुनगुनाने से कार्य की गति तेज होती है तथा काम में मन भी लगता है।

* गुनगुनाने से हमारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है।

* तो देर किस बात की? आज ही से आप भी गुनगुनाना शुरु कर दीजिए।

विवेक घिल्डियाल
क.का.प्र./वित्त

कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है।
पर सच तो यही है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं।

स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

यंत्र इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, अम्बाझरी नागपुर में दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित हुआ जिसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह, यंत्र इंडिया परिसर की साफ-सफाई, संगोष्ठी का आयोजन, वृक्षारोपण, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता, श्रम दान, नालियों की साफ-सफाई, मिनी मैराथन का आयोजन किया गया । दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को समापन समारोह में श्री राजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कर कमलों से विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये ।

राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रदेशों का 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में वर्गीकरण

क्षेत्र	राज्य
'क'	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छतीसगढ़, उत्तराखंड तथा दिल्ली व अंडमान निकोबार संघ राज्य
'ख'	पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य
'ग'	तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्नाटक, पाण्डिचेरी, गोवा

भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएँ

भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में सन् 1975 तक कुल 15 भाषाएं थी । सन् 1976 में सविधान में 74 वाँ संशोधन हुआ जिसमें 3 और भाषाएं नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी को जोड़ा गया । वर्ष 2003 में हुए संविधान के 100 वें संशोधन में चार और भाषाएँ मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया है और इसके साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गयी है ।

1.	असमिया	6.	गुजराती	11.	मराठी	16.	नेपाली	21.	बोडो
2.	उड़िया	7.	तमिल	12.	मलयालम	17.	कोंकणी	22.	संथाली
3.	उर्दू	8.	तेलुगु	13.	संस्कृत	18.	डोगरी		
4.	कन्नड़	9.	पंजाबी	14.	सिंधी	19.	मैथिली		
5.	कश्मीरी	10.	बांग्ला	15.	हिंदी	20.	मणिपुरी		

सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन

संविधान दिवस का आयोजन

स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

फा.सं.1 4011/01/2016-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग,'बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें । परन्तु देखने में आता है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जा रहे हैं । जबकि धारा 3(3) के अन्तर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञाप्ति आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं ।

- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा । लेकिन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं ।
- परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ।

हमें डांटने वाला ज़रुरी नहीं कि हमसे नाराज़ ही हो,
क्योंकि डांटने का हक़ प्यार करने वाले को ही होता है ।

- केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे ।

2. इसके साथ-साथ ही अपने मंत्रालय/विभाग के प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग (आर एंड आई) में काम करने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं कि धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में मंत्रालय/विभाग से जारी किए जाने वाले सभी पत्रादि द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) में जारी किए जाएं ।

3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाये कि हिन्दी रूपान्तर, अंग्रेजी के ऊपर रहे ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सचिव,
समस्त मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मंत्रिमंडल सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक/सहायक निदेशक स्तर के मंत्रालय/विभाग में हिंदी इकाई के प्रभारी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने मंत्रालय/विभाग में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों में परिचालित करें ।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
10. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

11. भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
13. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
14. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. निदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, आर.के.पुरम,वेस्ट ब्लाक-7, नई दिल्ली ।
17. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली ।
18. समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी इसकी प्रतियां परिचालित करें ।
19. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

संख्या : 12019/81/2015-रा.भा.(का.-2)/पार्ट-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

• • •

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन : मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण ।

राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में दिनांक 29 फरवरी, 2016 को एक समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था | उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(6) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के का.ज्ञा. सं. 13024/01/2009-प्रशिक्षण के अनुसार मानदेय दिए जाने का उल्लेख किया गया है | इसी क्रम में वित मंत्रालय(व्यय विभाग) से प्राप्त अनुमोदन (डायरी संख्या 3317673, दिनांक 14/06/2016) के आधार पर सरकारी कार्मिकों के हिंदी में कार्य करने के लिए आयाजित की जाने वाली कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा | किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में देय राशि 5000/- रुपए से अधिक नहीं होगी |

(ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1000/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा | 5000/- रुपए प्रति वर्ष देय पारिश्रमिक/मानदेय की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी |

(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस ज्ञापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वितीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

दुख जीवन में इसलिए आते हैं
जिससे हम सुख का मूल्य समझ सकें ।

संख्या : 12019/81/2015-रा.भा.(का.-2)/पार्ट-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन ।

राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों को हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं । इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले सरकारी कार्मिकों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करना है। इन कार्यशालाओं में मुख्य रूप से सरकारी काम हिंदी में किए जाने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए | यह अभ्यास संबंधित कार्मिकों के रोजमर्रा के कार्य से संबंधित होना चाहिए |

.2 विभाग द्वारा 01.10.1973 तथा 29.10.1984 में इस विषय पर निर्देश जारी किए गए थे| कार्यशालाओं का आयोजन करने के संबंध में विभाग द्वारा अब तक जारी किए गए सभी कार्यालय ज्ञापनों/दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे :-

(i) कार्यशाला की न्यूनतम अवधि 1 कार्य दिवस की होगी | कार्यशाला में न्यूनतम दो-तिहाई समय, कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए |

(ii) **राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु 'कार्यशाला संदर्शिका' वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है | प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम आदि के मुख्यालय इस संदर्शिका का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार नई 'कार्यशाला संदर्शिका' का निर्माण करें | इसमें अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विषयों का समावेश करें तथा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों आदि के कामकाज को ध्यान में रखते हुए उपयोगी सामग्री तैयार की जाए ताकि प्रशिक्षण के पश्चात कार्मिकों को अपना कामकाज हिंदी में करना सुविधाजनक हो |**

(iii) कार्यशाला में प्रशिक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाए जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों । आवश्यकतानुसार बाहरी विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है |

(iv) हर कार्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार कार्यशाला में भाग लेने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए और तदनुसार ही वर्ष में होने वाली कार्यशालाओं की

संख्या निर्धारित की जाए | कार्यशालाओं में उच्च अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाए | प्रशिक्षण के उपरांत समय-समय पर कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यशाला में पुन: नामित किया जाए |

(v) कार्यशाला के उपरांत प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला की उपयोगिता पर फीडबैक भी लिया जाए |

(vi) प्रशिक्षण कार्य के लिए विशेषज्ञों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों(वर्तमान- N0. 13024/01/2009-Trg. (Trg. Ref.)dated 23.09.2014) के अनुसार मानदेय दिया जाए |

(vii) जिन छोटे-छोटे कार्यालयों में कार्यशाला का आयोजन संभव नहीं हो पाता है, वहां अन्य कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए | इस संबंध में समुचित समन्वय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा किया जाएगा|

कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि हिंदी कार्यशालाएं उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आयोजित हों ।

29/2/2016

निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस ज्ञापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली. ।
5. राजभाषा विभाग के एनआईसी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

29/2/2016

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)

बुरा हो वक्त तो सब ही आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखे दिखाने लगते हैं ।
नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं ।

सं0 11034/15/2015-रा.भा. (नीति)
राजभाषा विभाग
पत्रिका अनुभाग

दिनांक : 26 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा का आयोजन।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हर वर्ष सितम्बर माह में "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :

(क) हिंदी पखवाड़ा आरंभ होने के पूर्व मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए;

(ख) हिंदी पखवाड़े के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हो और साथ-ही-साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों;

(ग) आई.टी. क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी विषयों को भी जोड़ा जाए;

(घ) हिंदी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (15 दिन) मनाया जाए, इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु मुख्य समारोह 14 सितंबर को ही आयोजित किया जाए;

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा जारी माननीय गृह मंत्री जी का संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए, और उसकी प्रति सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भिजवाई जाए;

(च) इस अवधि के दौरान या आसपास प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं आदि को "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया जाए;

(छ) हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिंदी व हिंदीतर लोगों के योगदान को उजागर किया जाए, इसके लिए कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए;

(ज) कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने के बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए;

(झ) उपर्युक्त कार्यक्रमों का मंत्रालय/विभाग के सचिवालय संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और "हिंदी पखवाड़ा" मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जाए; और

(ञ) पुरस्कार राशि एवं आयोजन पर होने वाले व्यय का निर्धारण मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार आंतरिक वित्त विभाग के अनुमोदन से किया जाए।

इसे सचिव (रा.भा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

प्रति - आवश्यक कार्रवाई हेतु:

i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

ii. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इस संबंध में जारी किए परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन में उपर्युक्त दिशा-निर्देश को सम्मिलित करने के लिए।

iii. निदेशक (तकनीकी) एन. आई.सी., राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

सं0-21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

....

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, 'बी'विंग,चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 2016

विषय: केन्द्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम "पारंगत" लागू किए जाने के बारे में ।

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.6.2013 का अवलोकन करें (प्रति संलग्न) ।

2. केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **'पारंगत'** पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण शुरु कर दिया गया है ।

3. इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले केन्द्र सरकार के कार्मिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है:-

(क) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 6000/-रु.

(ख) 60 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 8000/-रु.

(ग) 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर - 10000/-रु.

उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि को वहन करना होगा ।

4. इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अपनी टिप्पणी/सुझाव इस विभाग को 10.03.2016 तक अवश्य भेजें।

स्टेला

(स्टेला खाखा)
अवर सचिव (नीति)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

**कुछ लोग विफलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं,
उससे भी अधिक लोग सफलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं ।**

सं0 21034/69/2008-राभा(प्रशि)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 भवन,
चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1
दिनांक 11 जून 2013

14 JUN 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु दक्ष बनाए जाने के उद्देश्य से बनाए गए नए पाठ्यक्रम प्रांजल को लागू करने के बारे में ।

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है । अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा मैट्रिक स्तर तक हिंदी विषय की पढाई कर चुके होने अर्थात कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हाने के बावजूद हिंदी में कार्यालयीन कार्य निष्पादन करने में उनके दक्ष न होने की बात कही जाती है । संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन 7 की एक सिफारिश के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में दक्षता अथवा प्रवीणता प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्राज्ञ स्तर से ऊपर के स्तर का एक पाठ्यक्रम चलाए जाने का प्रस्ताव है ।

उक्त पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने से पूर्व अब तक चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने तथा कमियों का आकलन करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उनके मंत्रालय/विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों जिन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उनके द्वारा हिंदी में किए जाने वाले कार्य का प्रतिशत तथा उनके द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों विशेषकर पाठ्यक्रम संबंधी कमियों का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर 30 सितंबर 2013 तक राजभाषा विभाग को भेजने का कष्ट करें । यह सूचना (i) स्कूली शिक्षा के आधार पर (ii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा अन्य माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त (iii) स्वयं उदघोषणा करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों का अलग-अलग विवरण भेजा जाए ।

(डी.के.पांडेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं । अगर उन्हें ढील दो, तो वे गले पड़ जाते हैं
और अगर उन्हें कस के रखो, तो वे काटने को दौड़ते हैं ।

20012/10/2017-रा.भा.(नीति)

(3)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 9 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट द्विभाषी होने के संबंध में।

संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में दिनांक 31.03.2017 को जारी किए गए थे।

2. समिति ने संस्तुति सं० 87 में प्रतिवेदन किया है मंत्रालयों और इनके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। यह संस्तुति माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर ली है।

3. समिति ने संस्तुति सं० 28 में सिफ़ारिश की थी कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़े को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए। माननीय राष्ट्रपति जी ने यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

4. उक्त संस्तुतियां संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और आम आदमी से संपर्क करने कि दृष्टि से की गई हैं तथा इन संस्तुतियों को माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार करके अनुपालन के आदेश भी दिये हैं। अतः केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में उक्त संस्तुतियों का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक - संस्तुति सं 87,28

(डॉ० श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

दुनिया में हर काम मुहूर्त से होता है, सिर्फ 2 काम ही बिना मुहूर्त से होते हैं,
दुनियां में आना और दुनिया से चले जाना और ये दोनों काम 100% सफल होते हैं ।

	उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ किया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके।	
26	जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढाई जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
27	समिति का मानना है कि एक ऐसा मानक फोन्ट विकसित किया जाए, जिसका प्रयोग देश-विदेश में आसानी से किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध साफ्टवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिंदी के मानक की-बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी साफ्टवेयरों में लोड किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
28	समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़ों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
29	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बध्द कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
30	सॉफ्टवेयर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	
86	नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं "स्वागत"और "नमस्कार"के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन लोकप्रिय पत्रिकाओं का हिंदी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके।	संस्तुति संख्या 58 पर पारित आदेशानुसार कार्रवाई हो।
87	मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफ़ारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफ़ारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
89	आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिंदी के सभी अनुवादक-सह-उदघोषकों को नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
90	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामत: भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिंदी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य अधीनस्थ कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिंदी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

.....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/18/93-रा.भा.(नी-2) के तहत अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 30 अक्तूबर 2012 का अधिक्रमण करते हुए अब इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर रुपये 5000/- कर दिया गया है।

2. विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 ।।/12013/1/89-रा0भा0 (क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त ।।/2016 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

जो जितना कम योग्य होता है,
वह उतना अधिक योग्य होने का आडम्बर करता है ।

3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ)
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

.....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 15 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त् निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त ।।/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा

अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ) ।
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग ।
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।

यंत्र इंडिया लिमिटेड

एच आर (राजभाषा)

विषय : **हिंदी के प्रयोग के लिये वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम** ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु कार्यालय का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिये निर्धारित लक्ष्यों का क्रमवार विवरण निम्नानुसार दिया गया है । कृपया तदनुसार लक्ष्य हासिल करने के लिये कार्यालयी कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें ।

सं: 1045/राजभाषा/नीति

दिनांक : 07/04/2022

कार्य प्रबंधक/एसपी

वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम 2022-23

क्र. सं.	**कार्य विवरण**	**ख क्षेत्र (वाईआईएल मुख्यालय)**
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	**क क्षेत्र - 90%** **ख क्षेत्र - 90%** **ग क्षेत्र - 55%**
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	**100%**
3.	हिंदी में टिप्पण (Noting)	**50%**
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	**60%**
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	**70%**
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	**55%**
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण,आशुलिपि)	**100%**
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	**100%**
9.	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	**50%**
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	**100%**
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**
12.	नागरिक चार्टर तथा जनसूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	**100%**
13.	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25% (न्यूनतम)**
14.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	**वर्ष में चार बैठकें (प्रत्येक तिमाही एक बैठक)**
15.	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**
16.	ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो *	**30% (न्यूनतम)**

- सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, 'ख' क्षेत्र में 25% प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए ।

....

किसी ने बर्फ से पूछा, ''आप इतने ठंडे कैसे?'' बर्फ ने बड़ी ही नम्रता से कहा, ''मेरा भूतकाल भी पानी और मेरा भविष्यकाल भी पानी । फिर मैं किस बात पर गरम हो जाऊं ?''

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को **65%** 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति **100%**	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** **4.** ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति **90%**	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को **55%** 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को **55%** 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** **4.** ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति **55%**
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	**100%**	**100%**	**100%**
3.	हिंदी में टिप्पण	**75%**	**50%**	**30%**
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	**70%**	**60%**	**30%**
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	**80%**	**70%**	**40%**
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	**65%**	**55%**	**30%**
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	**100%**	**100%**	**100%**
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	**100%**	**100%**	**100%**
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	**50%**	**50%**	**50%**
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	**100%**	**100%**	**100%**

स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है, हर तरह की भूमिका अदा करता है,
यहां तक कि वह निःस्वार्थता की भाषा भी नहीं छोड़ता।

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
13.	**(i)** मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें		
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	**40%**	**30%**	**20%**
		(न्यूनतम अनुभाग)		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।		

जंजीरें, जंजीरें ही हैं, चाहे वे लोहे की हो या सोने की,
वे समान रुप से तुम्हें गुलाम बनाती हैं।

दिनांक 10.12.2022 को आयोजित जी.एम. मीट की झलकियाँ

यंत्र इंडिया लि. मुख्यायल परिसर

सशस्त्र सेनाओं का सशक्तिकरण

EMPOWERING THE ARMED FORCES

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यंत्र इंडिया लिमिटेड
YANTRA INDIA LIMITED

अम्बाझरी, नागपुर - 440021 (महाराष्ट्र)